मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी क्रमांक 569/1(3)/82 भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर, 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग।

विषय : विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के लिए लोक सेवा आयोग को आवश्यक जानकारी भेजने के संबंध में।

-:-:-:-:-:-

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन डी क्रमांक 49/35/1(3)/74 दिनांक 23-1-1974 एवं डी क्रमांक 122/318/1(3)/76 दिनांक 22-3-1976 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के पहले कौन-कौन सी जानकारी लोक सेवा आयोग को भेजना आवश्यक है और कौनसी जानकारी बैठक के समय प्रस्तुत की जाना है। जैसा कि उपर्युक्त ज्ञापनों में बताया गया है, बैठक के समय प्रस्तुत करने के लिए संबंधित कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में अंकित टीकाओं के आधार पर मूल्यांकन पत्रक भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि अभी भी वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती है, जिसके कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पाती। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि आयोग द्वारा वांछित जानकारी, विशेष रूप से गोपनीय चरित्रावलियों के आधार पर बनाये गये पत्रक अवश्य ही बैठक के समय तैयार रखे जाएं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी भी सम्मिलित होना चाहिए ताकि आरक्षण के अनुसार पदोन्नतियों में इन जातियों के कर्मचारियों को पूरा-पूरा लाभ मिल सकें।

(के०एन०श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग